न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00541

1. भूरी बाई पुत्री बजरंगा आयु 55 वर्ष पत्नी बिरधी लाल जाति नाई निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रमेश आयु 35 वर्ष आत्मज श्री मोती जाति नाई निवीस ग्राम मरां तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रघुनन्दन आयु 26 वर्ष आत्मज श्री मोती जाति नाई निवासी ग्राम मरां तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. भंवरी बाई आयु 46 वर्ष पत्नी मोती जाति नाई निवासी ग्राम मरां तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. बदरी आयु 45 वर्ष आत्मज मांग्या जाति नाई निवासी ग्राम मरां तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. लेखराज आयु 25 वर्ष आत्मज श्री मांग्या जाति नाई निवासी ग्राम मरां तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. किशन प्यारी बेवा कस्तूरा आयु 65 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम मरां तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामदेव उर्फ दौलत आयु 35 वर्ष आत्मज कस्तूरा जाति नाई निवासी ग्राम मरां तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. रामहेत आयु 32 वर्ष आत्मज कस्तूरा जाति नाई निवासी ग्राम मरां तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मनोज आयु 27 वर्ष आत्मज कस्तूरा जाति नाई निवासी ग्राम मरां तहसील नैनवा जिला बून्दी।
5. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फतेहपुरा तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 276 की रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि संयुक्त खाते की भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं और वादीगण का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी भूरी बाई का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण रमेश, रघुनन्दन एवं भंवरी बाई का हिस्सा 1/6 है तथा प्रतिवादीगण क्रम 5 व 6 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन करवाये और विभाजन में प्राप्त भूमि को पृथक–पृथक खाते दर्ज करावे तथा पृथक – पृथक लगान कायम करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण का हिस्सा 1/3 पृथक से वादीगण के खाते दर्ज किया जावे तथा वादीगण का हिस्सा उत्तर से दक्षिण बंटवारे से किया जावे यानि उत्तर में रोड रखा जाकर किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 30.05.2016 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2017 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि का मौके पर पक्षकारान में बंटवारा हो रहा है तथा चारों खेतों की बीच कुआ बना हुआ है जिसमें पुराना रास्ता काफी वर्षो से कायम है जिस पर पक्षकारान अपने खेत व कुए पर आते–जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में नहीं बनायी है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री में पक्षकारान के कब्जे को ध्यान में नहीं रखा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2017 त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसको परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 30.05.2016 को स्वीकार कर विभाजन के आदेश दिये हैं । प्रारम्भिक डिक्री से अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है परन्तु अंतिम डिक्री विधिक प्रावधानों के खिलाफ पारित की गई है । मौके पर कब्जे का ध्यान नहीं

रखा गया है । पक्षकारों के मध्य 50 वर्षों से विभाजन हो रहा है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है और न ही बंटवारा प्रस्ताव पर यह अंकित किया गया है कि पक्षकारों को नाटिस दिया गया इसके बावजूद भी वो मौके पर उपस्थित नहीं हुए हैं । इस प्रकार अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा